




झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है छड़खानी रोकना

- राजधानी से लेकर कस्बों तक में लगातार बढ़ रही है घटनाएं
- बेटियों की सुरक्षा अब सामाजिक चिंता का विषय बन गयी है
- सीएम हेमंत सोरेन का हंटर ही मनचलों को रोक सकता है
- अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की जरूरत

झारखंड इन दिनों एक अजीब किस्म का तनाव झोल रहा है। यह तनाव बेटियों की सुरक्षा को लेकर है। राज्य में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ छड़खानी और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य के विकास में महिलाएं भी योगदान देती हैं, हर क्षेत्र में वे पूर्ण से कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रही हैं, परं भी वे डर के साथ में क्यों जी रही हैं। चार साल की मासमान से लेकर 60 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ छड़खानी और गलत



राकेश सिंह

पिछले करीब एक पखवाड़े से झारखंड अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो प्रोश्न पर छड़खानी और हिंसा की बड़ी घटनाओं ने जहां लोगों के चिंता में डाल दिया है, वहां पुलिस प्रशासन के इतना भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

बात शुरू करते हैं राजधानी रांची से। कोवोली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हुए। उन्होंने हर तार में अरोपी का पकड़ने और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के इतना

भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

पिछले एक पखवाड़े से लेकर छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी के अपराधों को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो प्रोश्न पर छड़खानी और हिंसा की बड़ी घटनाओं ने जहां लोगों के चिंता में डाल दिया है, वहां पुलिस प्रशासन के सामने इन घटनाओं पर नियंत्रण की चुनौती भी पेश कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि वे घटनाएं बाद पुलिस ने अरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अरोपी को सामने ले आया है। एक बात शुरू करते हैं राजधानी रांची से। कोवोली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हुए। उन्होंने हर तार में अरोपी का पकड़ने और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के इतना

भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

यह तथ्य है कि पूरे झारखंड में

हाल के दिनों में लड़कियों के साथ

छड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

पिछले एक पखवाड़े में पूरे

ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने मार्च

राज्य में छड़खानी के करीब चार

निकाला। इसके

बाद कई मामलों में पुलिस

का बल तत्परता से मौजूद है।

व्यवहार की खबरों ने झारखंड के लोगों को ही नहीं, पुलिस प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिनमें बेटियों के पूर्ण से कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रही हैं, परं भी वे डर के साथ में क्यों जी रही हैं। चार साल की मासमान से लेकर 60 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ छड़खानी और गलत

प्रशासन भी देखने को मिला। इसके बावजूद मनचलों का आतंक स्पर्च कर रहा है। वे बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। सुरक्षा के लिहाज से 100-112 और शर्कि एक प्राचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के परिस्थितियों का समाना करना पड़ रहा है और वे लोकलाज के

प्रशासन भी देखने को मिला। इसके बावजूद मनचलों का आतंक स्पर्च कर रहा है। वे बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ पुलिस का डर घटनाएं लगातार हो रही हैं, और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के सामने इन घटनाओं पर नियंत्रण की चुनौती भी पेश कर दी गई है। एक बात शुरू करते हैं राजधानी रांची से। कोवोली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हुए। उन्होंने हर तार में अरोपी का पकड़ने, और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के इतना

भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

यह तथ्य है कि पूरे झारखंड में

हाल के दिनों में लड़कियों के साथ

छड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

पिछले एक पखवाड़े में पूरे

ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने मार्च

राज्य में छड़खानी के करीब चार

निकाला। इसके

बाद कई मामलों में पुलिस

का बल तत्परता से मौजूद है।

यह पूरी घटना बगोदर थाना

में लेकर चारों ओर अप्रैल

में लड़कियों को देखने की चिंता

हो रही है। उन्होंने कहा कि इस

बात शुरू करते हैं राजधानी रांची से। कोवोली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हुए। उन्होंने हर तार में अरोपी का पकड़ने, और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के इतना

भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

यह तथ्य है कि पूरे झारखंड में

हाल के दिनों में लड़कियों के साथ

छड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

पिछले एक पखवाड़े में पूरे

ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने मार्च

राज्य में छड़खानी के करीब चार

निकाला। इसके

बाद कई मामलों में पुलिस

का बल तत्परता से मौजूद है।

यह पूरी घटना बगोदर थाना

में लेकर चारों ओर अप्रैल

में लड़कियों को देखने की चिंता

हो रही है। उन्होंने कहा कि इस

बात शुरू करते हैं राजधानी रांची से। कोवोली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ अश्वील हरकत और छड़खानी करने का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हुए। उन्होंने हर तार में अरोपी का पकड़ने, और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अब तो यह सबाल उठने लगा है कि क्या पुलिस प्रशासन के इतना

भर करने से बेटियां सुकृति हैं।

यह तथ्य है कि पूरे झारखंड में

हाल के दिनों में लड़कियों के साथ

छड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

पिछले एक पखवाड़े में पूरे

ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने मार्च

राज

संपादकीय

देश में वन क्षेत्र पर सवाल

दे श में वन क्षेत्र की स्थिति बताने वाली ताजा रिपोर्ट (आइएसएफएस-2023) इस मायने में पांचिंटिव कही जा सकती है कि यह न केवल ट्री कवर बल्कि फॉरेस्ट कवर भी बढ़ने की जानकारी देती है। लेकिन रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से गैर करें तो कुछ ऐसे सवाल भी उभरते हैं, जो इस पांचिंटिवी से अलग कड़वी हकीकत की ओर संकेत करते हैं। वहली नज़र में यह तथ्य राहत दे सकता है कि देश में पिछले दो वर्षों में वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के एक चौथाई से ज्यादा (25.17%) हो गया है। लेकिन इसे भी भूला नहीं जा सकता कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक पारिस्थितिकी स्थिरता कायम रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% विस्तार वन क्षेत्र होना चाहिए। खास बात यह भी है कि हरियाली क्षेत्र में जो बढ़तेरी दर्ज की गयी है, उसका अधिकतर हिस्सा प्राकृतिक वन क्षेत्र (रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया) से बाहर है, जो प्लाटाशन और एग्रिहास्ट्री का नियमित है। निश्चित रूप से इन प्रयासों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता,

लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र के भरे-पूरे पेढ़ी की वृक्षसंरक्षण अभियान के तहत लगाये गये पौधों से तब तक तुलना नहीं हो सकती, जब तक कि ये पौधे पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। कुल हरियाली क्षेत्र में हो रही इस बढ़तेरी की वात कही गयी है।

कुल हरियाली क्षेत्र में हो रही इस बढ़तेरी के बीच भी इस तथ्य की अनुदेशी नहीं की जा सकती कि देश में प्राकृतिक वनों के नष्ट होने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी रिपोर्ट में 1234.95 वर्ग किलोमीटर मॉर्डेटी डेंस फॉरेस्ट (कम ज्ञान जंगल) और 1189.27 वर्ग किलोमीटर आपन फॉरेस्ट नष्ट होने की बात कही गयी है। हालांकि वेरी डेंस फॉरेस्ट (अधिक धने जंगल) की बढ़ातेरी भी हुई है, मगर इससे वह संकेत मिलता है कि जंगलों के स्तर और उसकी प्रकृति में बदलाव आ रहा है। ऐसे में वन संशोधन नियम (2023) को लेकर चल रही बहस की अहमियत भी बढ़ जाती है। इस संशोधन में गैर वर्गीकृत जंगल का संरक्षण होने की बात है। ऐसे, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन गैर करने की बात है कि इस श्रेणी में टोटल फॉरेस्ट कवर का 16% से ज्यादा हिस्सा आ जाता है, जो इकास्ट्रक्चर परियोजनाओं से संभावित खारे के दायरे में आ जायेगा। कुल मिला कर, प्लाटाशन और एग्रिहास्ट्री के जरिए हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ने का प्रयास निश्चित रूप से सहानीय है, लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र का संरक्षण भी उतना ही अहम है।

अभिमत आजाद सिपाही

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज सुधारक दर्जा समझोहन साथ ने महिलाओं के खिलाफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। महिला अधिकारों को आज सबसे जागरूक समझोहन जाने वाले केरल राज्य में 18वीं-19वीं सदी में दलित शियों से बेहद बुरा बर्ताव ही रहा था। उनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश वर्जित था और यहां तक कि उन्हें बाजारों में भी नहीं घुसने दिया जाता था।

महिलाओं की सती में बराबरी के अधिकार की लड़ाई अभी बाकी

अकु श्रीवास्तव

6 दिसंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने रुद्धिवाद पर आधारित महिलाओं पर बांदिश लगाने वाले कानून को खारिज किया। यह ऐतिहासिक दिन था। इसके बाद धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान वा इनमें से किसीको आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने वाले स्वतंत्रान के अनुच्छेद 15 की महिलाओं के अधिकारों के संबंध में व्यापक व्याख्याएं हुई हैं।

उक्त मुकदमे में याचिकार्ता थे अनुज गर्ग एवं अन्य तथा प्रतिवादी थीं होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य। न्यायार्थी एसवी सिन्हा और हरजीत सिंह की पोंप द्वारा जांब आवाकारी अधिनियम-1914 की धारा 30 को चुनौती दी गयी है, जो 25 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी ऐसे परिस्थित में जाने से रोकती थी, जहां शराब या मादक पदार्थ का सेवन जनता द्वारा किया जाता है।


इस तरह महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कहा जा सकता कि लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ अनुच्छेद भी शामिल है, जिसमें विधि के समझ समान संरक्षण प्राप्त है।

अनेकिया जैसे विधियाँ देश में महिलाओं के राजनीतिक वर्ष्य को स्वीकार करने में हितक

विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल के प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा हासिल था। हालांकि स्मृतिकाल में उनके स्तर में बदलाव आया है।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज मुख्यकारी राजा रामानन राय ने महिलाओं को खिलाफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। महिला अधिकारों को आज सबसे जागरूक समझोहन को बढ़ाव देने के लिए एक शिक्षित वार्षिक योग्य प्रश्नावली जारी की गयी है।

गया है। चौथी शताब्दी ई.प्रू. के माने जाते अपसंभव सूत्र में नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को 1730 में त्रिव्यवकायज्ञन ने स्त्रीधर्मपद्धति में संकलित किया था। इसके मुख्य छंद था मुख्यो धर्म: स्मृतिषु विहितो



मगर जब 2024 के लोकसभा चुनाव और बाद में हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव हुए तो महिलाओं को एक तिहाई टिकटे देने का साहस नहीं दिखाया। यानी महिलाओं के अधिकारों के नाम पर कुल जग्मा सारी बायानबाजी राजनीति करने तक सीमित है।

प्रवेश वर्जित था और यहां तक कि उन्हें बाजारों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे में तिरुनंतपुरुम के पास एक गांव वेगनूर में पुलाया नामक दलित समुदाय में जन्मे अच्युकली ने दलित महिलाओं को अधिकार दिलाने और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। ऐसी ही सामुदायक और पहली महिला शिक्षक साक्षित्र वार्ड पुले ने स्त्रियों के बंद कराया। महिला अधिकारों को आज सबसे जागरूक समझोहन जाने वाले केरल राज्य में 18वीं-19वीं सदी में दलित स्त्रियों से बेहद बुरा बर्ताव हो रहा था। उन्हें वक्ष ढंकने की इजाजत नहीं थी। पढ़ना-लिखना माना था। उनका सार्वजनिक स्थानों पर

प्रवेश वर्जित था और यहां तक कि उपर्युक्त वार्ड में भी नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे में तिरुनंतपुरुम के पास एक गांव वेगनूर में पुलाया नामक दलित समुदाय में जन्मे अच्युकली ने दलित महिलाओं को अधिकार दिलाने और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। ऐसी ही सामुदायक और पहली महिला शिक्षक साक्षित्र वार्ड पुले ने स्त्रियों के बंद कराया। महिला अधिकारों के नामकरण के लिए आंदोलन किया जाता है। अगर इसे लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी जाए। अलबत्ता चुनावी राजनीति में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है।

लोकसभा चुनाव में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में मतदान किया। अगर समूचे भारत की बात करें तो 65.8% फैसली महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का लेकर जमा सारी बायानबाजी राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनावी राजनीति में सीमित है।

लोकसभा चुनाव में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में मतदान किया। अगर समूचे भारत की बात करें तो 65.8% फैसली महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का लेकर जमा सारी बायानबाजी राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनावी राजनीति में सीमित है। अलबत्ता चुनावी राजनीति में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है।

अमेरिका जैसे विधियाँ देश में महिलाओं के राजनीतिक वर्ष्य को संभालने के लिए क्या किया जाए? यहां हाल ही में हुए चुनाव में सबने देखा कि चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने उप-राष्ट्रपति कमला वैरिस का मजाज उठाने के लिए आवाज उठायी और उनके सहयोगियों को लेकर लगातार उड़ाया। अपरिसीम 4 साल से लंबित पड़े जनगणना का कार्य संपन्न होने के बाद ही उसके डाटा मिलने पर संभव हो गया। यदि नये साल में जनगणना का काम शुरू हो जाता है तो संभव है कि इसके पूरे अंकड़े अगले साल तक मिल जायें। ऐसे में वर्ष प्रधानमंत्री के लिए लगातार लड़ना

महिला आरक्षण अधिनियम नारीशक्ति वर्ष्य के लिए भी अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गयी, तब जाकर वर्ष 2023 में संविधान में 106वां संशोधन किया गया। महिला अधिकार के लिए लंबा अंदाज दिलाने के लिए लंबी लंबी धर्मी की है, जब राज्य इसे 2024 के लिए आवाज उठायी और उनके सहयोगियों ने उप-राष्ट्रपति कमला वैरिस का मजाज उठाने के लिए आवाज उठाया। मतदान का डाटा भी बात रहा है कि वहां पुरुषों ने ट्रैम्प को ज्यादा बोला दिया गया है। इसलिए सत्ता में बराबर की भाँती दिखानी शुरू करने के लिए भी अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाही दी जाए।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का विवरण देश-द्वारा किया जाता है। बांग्लादेशी सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहने वाले हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं।

भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता क्या है? साल 2023 में भारत के

